



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08072023-247140
CG-DL-E-08072023-247140

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2868]
No. 2868]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 7, 2023/आषाढ़ 16, 1945
NEW DELHI, FRIDAY, JULY 7, 2023/ASHADHA 16, 1945

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(वित्तीय बाजार प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जुलाई, 2023

का.आ. 2993(अ).—केंद्रीय सरकार, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं केंद्र प्राधिकरण (वेतन, भत्ते तथा अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा संबंधी अन्य निबंधन एवं शर्तें) नियमावली, 2020 के साथ पठित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 (2019 का 50) की धारा 5(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा श्री के. राजारमन, आईएएस (टीएन: 1989) को पद का कार्यभार संभालने की तिथि से 03 वर्ष की अवधि के लिए, या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, या अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करती हैं।

[फा. स. 4/1/2020-आरई]

सुरभि जैन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)
(FINANCIAL MARKET DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th July, 2023

S.O. 2993(E).—In exercise of the powers conferred by section 5(1) of International Financial Services Centres Authority Act, 2019 (No. 50 of 2019) read with International Financial Services Centres Authority (Salary, Allowances and other Terms and Conditions of Service of Chairperson and Members) Rules 2020 the Central Government hereby appoints Shri K. Rajaraman, IAS (TN: 1989) to the post of the Chairperson, International Financial Services Centres Authority (IFSCA) for a period of 03 years w.e.f. the date of assumption of charge of the post, or till attaining the age of 65 years, or until further orders, whichever is the earliest.

[F. No. 4/1/2020-RE]

SURBHI JAIN, Jt. Secy.